[श्री यशवन्त सिंह कुशवाह]

लेकिन वह वहाँ अपने जीवनकाल में उदयपुर नहीं पहुँच सके। यह उनकी इच्छा अपूर्ण रही लेकिन मेवाड़ की एक बड़ी सेवा उन्होंने गोरखपुर क्षेत्र में महाराणा प्रताप कालिज व महाराणा प्रताप के नाम से अनेक शिक्षण संस्थाएं कायम करके की। उनकी यह सेवा चिरस्मरणीय रहेगी।

महन्त जी का सारा जीवन देश के लिए उत्सर्ग था। वह प्रथम श्रेणी के देशभक्तों में माने जाते थे और उनकी सेवाएँ हमेशा याद की जायेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री तामस्कर जी मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध वकील ही नहीं थे लेकिन वह मध्यप्रदेश विधान सभा में लीडर आफ दी अपोजीशन भी थे और उन्होंने जिस ढंग से शानदार काम किया था वह अपने में उस समय का एक इतिहास है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के अन्य माननीय महानुभावों के विचारों का समर्थन करते हुए अपने दल की ओर से व स्वयं अपनी ओर से उन तमाम दिवंगत महानुभावों के लिए श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ जिनका उल्लेख यहाँ किया गया है। मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारों तक मेरी भावनाएँ पहुँचा देने की कृपा करें।

MR. SPEAKER : The House may stand for a short while in silence as a mark of respect to the departed Members.

(*The Members then stood in silence for a short while*)

POINT OF ORDER

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE *rose*—

SHRI K. LAKKAPPA : What about the Question Hour, Sir ? (*Interruption*) We want the Question Hour.

SHRI NAMBIAR : The Question Hour must come first. The Zero hour can be taken up after the Question Hour, not before the Question Hour. (*Interruption*)

MR. SPEAKER : He had a basic objection and he wanted to raise it before the Question Hour, and I allowed him.

SHRI NAMBIAR : I humbly submit that it is not the procedure; I have seen the procedure for the last 17 years.

SHRI K. LAKKAPPA : Under what procedure are you allowing him to speak ?

SHRI A. SREEDHARAN : This cannot be allowed.

SHRI K. LAKKAPPA : We want your ruling. Under what rule is it being done ? Under what rule has it been allowed ? We want to know under what rule he is being allowed to speak.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: It is a point of order.

SHRI K. LAKKAPPA: Where is the point of order now ? (*Interruption*)

MR. SPEAKER : Order, order. I have allowed him on a point of order.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप प्रश्नों को लें मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके निर्णय के लिए उपस्थित करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में मैं आपको सूचना दे चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आज का दिन एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है ··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं और मैं आशा करता हूं ··· **(व्यवधान)**

जो सदस्य मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं वह आपकी अवज्ञा कर रहे हैं। मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं ··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, मुझे बडा अफसोस है कि मेरे मित्र मुझे सुने बिना ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मुझे बोलना नहीं चाहिए। जब आपने मुझे इजाजत दी है तो जरूर आपने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं जो कुछ यहाँ सुझाव उपस्थित कर रहा हूं वह महत्वपूर्ण हैं

और उनकी यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है अभी आप हम से कहने वाले थे कि हम सवाल पूछें। हम सवाल पूछें, इस से पहले मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि हम किस पार्टी की सरकार से सवाल पूछें? आप यह स्वीकार करेंगे कि यह पार्लियामेंट्री डिमाक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है। यह संसदीय लोकतंत्र दलों के आधार पर चलता है। दल चुनाव लड़ते हैं। जो दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करता है वह अपना नेता चुनता है और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था और उस पार्टी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रधान मंत्री चुना था। लेकिन उस पार्टी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया। यह किस दल की सरकार है?

एक दूसरा प्रश्न और है। इस सरकार का सदन में बहुमत नहीं रहा है। कल तक कांग्रेस पार्टी का बहुमत था, लेकिन अब कांग्रेस के 60 से अधिक मेम्बर इधर आ कर बैठे हैं। यह अल्पमत की सरकार है। अगर कोई मिली जुली सरकार चलाई जा रही है तो इसके बारे में हमें विश्वास में लेना चाहिये। मिली जुली सरकार किन के साथ?

एक माननीय सदस्य : कम्यूनिस्टों के साथ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस सरकार का प्रोग्राम क्या है? यह सरकार सदन के सामने कौन सा कार्यक्रम ले कर आई है? इस के बारे में डा० राम सुभग सिंह ने आप को पत्र लिखा है और राष्ट्रपति को भी लिखा है। मैं चाहता हूं कि इस सदन में कार्रवाई चलने से पहले The credentials of the Indira Gandhi Government should be discussed first. (*Interruptions*).

SHRI RANGA : The Question that arises is this. (*Interruptions*). They claim to represent the Government. It may be Shrimati Indira Gandhi's Government, but it is not a Government representing any party. Even if it were claimed that they represent a party, that party has not taken any name till now. It is not born yet. It is a still-born babe. What is more, may I know on whose behalf, in whose name, under what authority, can you recognise them as the ruling party; when their President has notified you and has also written to the Rashtrapati that she is no longer in the party that claims to be the Congress Party? The Congress Party's leaders today is sitting by my side. (*Interruptions*). I have been looking forward to this the emergence of this political development for the last 20 years. I warned her father that such things are to be allowed in a decent manner, in a wholesome manner, in a democratic manner. In spite of it, this evil privilege has been taken over by his daughter to create this disturbance in our political life...(*Interruptions*)...denigrating the political morals in this country.

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : As a member of this House, I am answering Sir, the point of order raised by Mr. Vajapayee. This is Question Hour and the question put was, to the Government of which party he is to put the Questions. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Order, order. There should be no interruptions.

SHRI GOVINDA MENON : Under the Rules, the questions have to be put to the Government and the Government is here. The point was raised by the Leader of the Swatantra Party as to who the leader of the Congress Party is.

The Congress Party in Parliament has its own Constitution and for the purposes of Parliament and, Sir, for your purpose that Constitution governs us. Sir, you should be oblivious to what has happened outside. We are governed by those party regulations and under them the Prime Minister continues to be the leader of the party and we claim that this Government has a majority in this House. Unless it is shown otherwise, we continue in office.

DR. RAM SUBHAG SINGH : In the Kutch dispute the Law Minister gave wrong advice to the Government and because of hat we had all sorts of difficulties. On every

[Dr. Ram Subhag Singh]

constitutional matter he expresses his opinion and gives advice to government which is later found to be wrong. It is so in the present case also...(*Interruptions*).

SHRI M. L. SONDHI : Sir, he has shown the salute of Hitler. He must apologize to the House. Shame on him...(*Interruption*).

MR. SPEAKER : A point of order was raised by Shri Vajpayee, followed up by Shri Ranga, that before we start taking up the questions we should decide who will be the competent government to answer questions. As the Presiding Officer I will invite your attention to the Rules of Procedure. If the members think that the government has lost its majority in the House a number of ways are suggested for dealing with such a contingency. A no-confidence motion is already pending. If you think they have lost the majority you can press for it. A number of other remedies have also been suggested. But why should this be done in the form of a point of order ? If it is in my power and if I were to say that I do not recognise the government, would it be a proper precedent ? I can quote a number of precedents where it has been held by the Speaker that it is not for him to decide about the competence of the government; it has to be decided by the House itself. Otherwise, I can ask somebody to raise a point of order and I can get rid of any government...(*Interruptions*) I have disposed of the points of orders. I will not hear anybody now, until the question hour is over. Now, Shri Ram Sewak Yadav.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई जान व माल की हानि का अनुमान लगाने के लिए समिति

*1. **श्री राम सेवक यादव** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई जान व माल की हानि का अनुमान लगाने तथा उस पर विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो समिति के प्रतिवेदन के अनुसार हानि का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या समिति ने अपने प्रतिवेदन में बाढ़ न आने देने के बारे में कोई सुझाव दिये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ों से हुई जान व माल की हानि की जांच करने और इसका मूल्यांकन करने के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की है। बहरहाल, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध करने पर, जैसा कि प्राय: प्राकृतिक दुर्घटनाओं के समय किया जाता है, राहत के उपायों का मौके पर मूल्यांकन करने के लिए सितम्बर-अक्टूबर, 1969 में अधिकारियों का एक दल भेजा। इस दल ने अपनी रिपोर्ट में 1969-70 के दौरान उत्तर प्रदेश में बाढ़ों से छुटकारा दिलाने के उपायों के रूप में सिंचाई कार्यों (तटबंधों) की मरम्मत के लिए 40 लाख रुपये, सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 75 लाख रुपये, खाद्यान्न के मुफ्त वितरण और नकद सहायता, आवास निर्माणार्थ अनुदानों, टैक्स-रिलीफ कार्यों जैसे राहत-कारी कामों के लिये 150 लाख रुपये और मवेशियों को खरीदने तथा अन्य कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण रूप में 25 लाख रुपये तक के व्यय की सिफारिश की ।

(ग) केन्द्रीय दल कोई तकनीकी दल नहीं है और इसका मुख्य काम यह निश्चित करना है कि राहतकारी अभियानों के लिए धन की आवश्यकताओं को योजना के वार्षिक प्रावधान में से किस हद तक पूरा किया जा सकता है और वृहत् कार्यों और अहेतुक सहायता के विभिन्न कार्यों तथा अनुपादक कार्यों पर कितना अतिरिक्त व्यय अपेक्षित है ।

श्री राम सेवक यादव : जो बयान सदन पटल पर रखा है उस में कहा गया है कि जो